जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 18.04.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 129 वाहनों से 1,13,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 129 वाहनों से 1,13,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुधारा श्री इन्द्रभूषण सिंह के नेतृत्व में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 121/2025 धारा 137(2)/87/65(1)/61(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में नाम पता अभियुक्त सेराजुद्दीन पुत्र तराबुद्दीन उर्फ तखिया निवासी सेमरियावा थाना दुधारा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 17.04.2025 को थाना दुधारा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही कर करते हुए आज दिनांक 18.04.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, हे0का0 अरविन्द यादव ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व 3,000 रु0 के अर्धदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 18.04.2025 को ***मा0न्यायालय जे0एम0 संतकबीरनगर*** के द्वारा 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 3,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

एनसीआर नं0 158/2002 धारा 427/504 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 01- रामराज पुत्र गरीब भर, 02- कैलाशी पत्नी रामराज निवासीगण अशरफपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 427 भादवि में प्रत्येक अभि0गण द्वारा जेल में बिताय गयी अवधि व 1000-1000रु0 के अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में प्रत्येक अभि0गण द्वारा जेल में बिताय गयी अवधि व 500-500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस का कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामले 01 अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ''ऑपरेशन कनविक्शन''अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 18.04.2025 को मा0 न्यायालय– विशेष न्यायाधीश पाक्सो जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1164/2023 धारा 376AB भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता पुजारी उर्फ छोटू पुत्र चन्द्रदेव निवासी भैंसहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनदप संतकबीरनगर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

मु0अ0सं0 1164/2023 धारा 376AB भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पुजारी उर्फ छोटू को धारा 5/65M/6 पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।